



STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES

क्लायंट नंबर:

प्रिय _____:

हम आपको सलाह देते हैं कि आप नागरिक बन सकते/सकती हैं या नहीं यह निर्धारित करने के लिए आप संलग्न सूची में दी हुई एजेन्सियों में से किसी से संपर्क करें।

कानूनी परमनन्ट रेसिडेंट (स्थायी निवासी) के रूप में पाँच (5) वर्ष बाद, आप यू.एस. की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह रेफरल आपको यह निर्णय करने में सहायता करेगा कि क्या नागरिक बनना आपके लिए सही है।

आपके लिए नागरिक बनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप नागरिक बनें तो आप:

- मतदान कर सकते/सकती हैं
- फेडरल बेनिफिट्स के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं
- 7 वर्षों बाद SSI प्राप्त कर सकते/सकती हैं

इस एजेन्सी की सेवाएं आपके लिए निःशुल्क हैं। वे:

- नागरिकता आपके लिए सही है या नहीं यह निर्धारित करने में आपकी मदद कर सकते हैं
- नागरिकता परीक्षा के लिए तैयारी करने में आपकी सहायता कर सकते हैं
- यदि आप पात्र हों, तो आप को परीक्षा लेने से मुक्त करने के लिए डिसेबिलिटी वेइवर (अक्षमता मुक्ति) के लिए आवेदन करने में मदद कर सकते हैं
- अधिकतर मामलों में, आवेदन शुल्क में आपकी सहायता कर सकते हैं

उपलब्ध एजेन्सियों की एक सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया एजेन्सियों में से किसी से संपर्क करें और उन से नैचुरलाइज़ेशन की प्रक्रिया के बारे में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लें।

यह पत्र अपनी अपॉइंटमेंट पर ले जाएं। एजेन्सी एक प्रति रखेगी और आपके सोशल वर्कर को सूचित करेगी कि क्या आप आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, या आपकी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है, या आपने यह निर्णय किया है कि आप इस समय नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे/करेंगी और क्यों।

आपकी शुभचिंतक,

टेलीफोन नंबर: